संख्या-2-ई.एम./2009-का-4-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ, दिनॉक 21 जुलाई, 2015

विषय : सेवा संवर्गों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण सम्बन्ध में।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में, समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 24.05.2012, दिनॉक 07.01.2013, दिनॉक 19.08.2013 एवं दिनॉक 21.10.2013 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, उनकी समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण कराया जाये। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद विभागों, विभागाध्यक्षों, मण्डल/जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर इनकी समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. पूर्व में जारी उपरोक्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है :

(क) विभिन्न संवर्गों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। इन्हें लम्बे समय तक लम्बित रखना स्वस्थ कार्मिक नीति के अनुकूल नहीं है। विभिन्न स्तरों पर संवाद बनाये रखना भी आवश्यक है, जिससे कि समस्याओं/कठिनाईयों का प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारण कर दिया जाये। सेवा संवर्ग की समस्याओं/कठिनाईयों, जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर या विभागाध्यक्ष स्तर पर हो सकता है, उनका उसी स्तर पर त्वरित निस्तारण कर दिया जाये, जिससे कि सम्बन्धित समस्या उच्च स्तर पर प्रस्तुत न हो। कतिपय ऐसी समस्यायें/मांगे हो सकती हैं, जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर अथवा विभागाध्यक्ष स्तर पर नहीं हो सकता है तभी इन्हें शासन स्तर पर संदर्भित किया जायेगा।

(ख) जनपद स्तर पर सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर सम्बन्धित विभाग के मण्डल स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अपने विभाग से सम्बन्धित सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की जायेगी, जिसमें सेवा संवर्ग से

सम्बन्धित समस्याओं/कठिनाईयों पर चर्चा/विचार-विमर्श करते हुये इनमें से स्थानीय स्तर पर जिनका निस्तारण संभव पाया जायेगा, उसका निस्तारण किया जायेगा। कृत कार्यवाही का विवरण सम्बन्धित जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को भी सेवा संवर्ग समस्याओं तथा इसके निस्तारण की दिशा में की गयी कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा। ऐसी समस्याओं/कठिनाईयों, जिनका निराकरण जनपद/मण्डल स्तर पर संभव न हो, से सम्बन्धित प्रकरण सक्षम स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे।

(ग) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा इस बात की नियमित समीक्षा की जायेगी कि उक्त प्रस्तर-2 (ख) के अनुसार त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर सेवा संगठनों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण की दिशा में सम्बन्धित जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। यदि जिलाधिकारी अथवा मण्डलायुक्त यह महसूस करते हैं कि सम्बन्धित विभाग के जनपद/मण्डलीय अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो वह अपने स्तर पर समुचित कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के संज्ञान में तथ्य लायेंगे। ऐसे प्रकरण जिनमें जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त यह महसूस करते हैं कि समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण में उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त द्वारा अपने स्तर पर भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण की दिशा में कार्यवाही की जायेगी।

(घ) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अपने विभाग के प्रदेश स्तरीय सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जायेगी तथा उनकी प्रदेश स्तरीय समस्याओं/कठिनाईयों अथवा ऐसी समस्याओं/कठिनाईयों, जो जनपद/मण्डल स्तर पर निस्तारित नहीं हो पायी हैं, उनका निराकरण किया जायेगा तथा अनिस्तारित समस्याओं व कठिनाईयों के निराकरण हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(च) ऐसी समस्यायें/कठिनाईयाँ जिनका शासन स्तर पर ही निराकरण संभव हो, इन्हें सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को सन्दर्भित किया जायेगा। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा त्रैमास में कम से कम एक बार अपने विभाग के प्रदेश स्तरीय सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर ऐसी समस्याओं/कठिनाईयों जिनका निराकरण शासन स्तर पर ही संभव है, का निराकरण किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष स्तर पर तथा जनपद/मण्डल स्तर पर कार्मिकों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की भी त्रैमास में कम से कम एक बार समीक्षा करेंगे।

(छ) कतिपय ऐसी समस्यायें/कठिनाईयां हो सकती हैं, जिनका निराकरण प्रशासनिक विभाग के लिये संभव न हो, ऐसी समस्यायें यथावश्यक कार्मिक विभाग,

सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत की जायेंगी। इन विभागों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(ज) वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते समय इस तथ्य का संज्ञान लिया जायेगा कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कर्मियों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण के बारे में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है अथवा नहीं। यदि यह पाया जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित सेवा संगठनों की समस्याओं के निराकरण में संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है अथवा उपरोक्तानुसार सेवा संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण का प्रयास नहीं किया गया है, तो इसे प्रतिकूल मानते हुये इसका तथ्यात्मक उल्लेख उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्ठि में किया जायेगा।

4. सेवा संगठनों की समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रस्तर-2 पर उल्लिखित बैठकों की प्रथम बैठक 15 अगस्त, 2015 के पूर्व अवश्य कर ली जाये। उक्त प्रस्तर-2 (च) के अनुसार आयोजित बैठक का कार्यवृत्त मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

5. संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूँगा कि सेवा संवर्गों की समस्याओं/कठिनाईयों के सम्बन्ध में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुये उनके निराकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये जाये। यह प्रयास भी किये जाये कि ऐसी समस्यायें/कठिनाईयां, जो जिले स्तर पर निस्तारित हो सकती हैं, उनका निराकरण जिले स्तर पर ही, जिन समस्याओं/कठिनाईयों का निस्तारण मण्डल स्तर पर हो सकता है, उनका निराकरण मण्डल स्तर पर तथा जिन समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण विभागाध्यक्ष स्तर पर हो सकता है, उनका निस्तारण विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाये। ऐसी समस्यायें/कठिनाईयां, जिनका विभागाध्यक्ष के स्तर पर निराकरण न हो सके, का निराकरण सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर किया जाये।

4. हम सभी का यह प्रयास हो कि सेवा संवर्गों की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होता रहे जिससे कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं एवं कार्यों में सरकारी कर्मियों का पूरा योगदान लिया जाये तथा हमारी नीति ऐसी हो कि इनका मनोबल ऊँचा रहे।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 13 सा0 नियुक्ति/कार्मिक—23—7—2015—(628)—1000 प्रतियां—(ई/टी/आफसेट)।

पृष्ठांकन पत्र संख्या-स्था-1 उ0प्र0वा0क0 सेवा संघ-15-16 // 1797 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर.उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक ::अगस्त. 11 .2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर अनुभाग-4 विभाग सचिवालय,लखनऊ ।

2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को शासन का पत्र दिनॉक-21-07-2015 इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कर्मचारी संगठनों की कठिनाई / समस्यों का निराकरण कराने हेतु प्रेषित ।

3- समस्त ज्वाइंट कमि़श्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

4- अपर निदेशक, (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमती नगर लखनऊ ।

5- अध्यक्ष / महासचिव, उ0प्र0 वाणिज्य कर सेवा संघ कानपुर ।

6- डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

7- स्था-1 पटल को 10 प्रतियॉ अतिरिक्त ।

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2.
प्रभार ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।